(2018) 4 एस 0 सी0 आर 0 263

मध्यप्रदेश राज्य व अन्य

बनाम

अशोका इन्फ्रावेज्स लिमिटेड व अन्य

(सिविल अपील सं0 4018 वर्ष 2018) 18 अप्रैल, 2018

(माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल एवं आर 0 एफ 0 नरीमन)

मध्य प्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983

मध्यस्थता न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार – निर्णितः आलोच्चय निर्णय में उद्धृत निर्णय माननीय उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा निरस्त किया गया – इसी कारण विवादित आदेश निरस्त – अपील स्वीकृत।

विवा हाईवे लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम 2017 (2) एम 0 पी0 एल 0 जे0 681

पुष्टि की गयी।

केस लॉ सन्दर्भ

2017(2) एम 0 पी0 एल 0 जे0 681 अनुमत किया गया, पैरा 2

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 4018 वर्ष 2018

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा मध्यस्थता अपील सं0 11 सन् 2015 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.02.2016 के विरूद्ध।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण सौरभ मिश्रा, एएजी, जुगल किशोर गिल्डा, पुरूशेन्द्र कुमार, महाअधिवक्ता नमन नागरथ, नीरज किशन कौल, पराग त्रिपाठी, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, हर्ष पाराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पांडे, जसदीप एस. ढिल्लों, प्रभात के. चैरसिया, सुश्री रेणुका साहू, जय सावला, अमर वरूण, शांतनु कृष्ण, सुश्री अनुसूया सलवान, ध्रुव मिश्रा, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, आकाश लांबा, वीरेन सिब्बल, विवेकानन्द बी., विकास सूद, अपूर्व कुरूप, सुश्री ईशा मित्तल, डॉ. हर्ष पाठक, सुश्री स्वेता महाजन, मोहित चैबे, सिद्धार्थ शुक्ला, नीरज शेखर, अुर्जन गर्ग, मिश्रा सौरभ, श्रीधर पोटाराजू, सुधीर मिश्रा, प्रभात कुमार, सुश्री पेटल चंदोक, सुश्री अंकिता शर्मा, ऋषभ, एम.आर. शमशाद, आदित्य समद्दर, बी.एस. बंाठिया, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सौरभ एस. सिन्हा, आदित्य देव त्रिगुना, सुनील सिंह परिहार, मैसर्स ए पी एंड जे. चैम्बर्स, प्रफुल्ल कुमार बहेरा, मनीष के. भारद्वाज, एस.एस. नेहरा, सुश्री अनुराधा मिश्रा, सुश्री वंशजा शुक्ला, वरूण मोहन, स्वास्तिक सिंह, 263 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स (2018) 4 एस 0 सी0 आर 0, अर्जून गर्ग, मनीष यादव, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी.एन. दुबें, सुश्री देविका गुलाठी, हितेन्द्र नाथ रथ, मंयक क्षिरसागर, पावेश जोशी, चावू

अम्बवानी (मैसर्स ए.पी. एंड जे. चैम्बर्स के लिये) बी.के. सतीजा, सुमित अत्री, के. कृष्ण कुमार, हितेन्द्र नाथ रथ, नीलवा बंद्योपाध्याय, राहुल पांडे।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

1. अनुमति दी गयी । पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. यह विवादित नहीं है कि जिस निर्णय का आलोच्चय आदेश में अवलम्बन लिया गया है, उसे विवा हाईवे लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, 2017(2) एम0पी0एल0जे0 681 में उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। तद्नुसार आलोच्चय आदेश निरस्त एवं अपील स्वीकार की जाती है।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई माध्यस्थता कार्यवाहियॉ विचाराधीन है, तो वे उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय द्वारा शासित होगी।

4. अपील निस्तारित की जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी, अपील निस्तारित की जाती है।